

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)**  
**(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)**

दांडिक०प्र०क०-32 / 14

संस्था०दि० 22 / 01 / 14

फाईलिंगनं.233504003642014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन

--: विरुद्ध :-

बसंतराव पिता जोगीलाल बामने, उम्र 29 वर्ष,  
जाति चमार, पेशा मजदूरी, नि०ग्राम छावल,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----- अभियुक्त

--: निर्णय :-

(आज दिनांक 30 / 11 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिशोध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 20/05/13 के बाद से लगातार थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 07/01/14 तक समय 15/10 बजे आरोपी बंसत बामने का घर ग्राम छावल, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी श्रीमति रोशनी बामने, जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उक्त समयावधि में आपने फरियादी से दस हजार रुपये एवं जेवर की मांग कर उसके माता पिता से लाने के लिए दुष्प्रेरित किया।

2- दिनांक 30/11/16 को फरियादी रोशनी बामने और आरोपी बसंतराव के बीच राजीनामा होने से राजीनामा आवेदन पेश किया जो राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

3- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि शादी के एक माह बाद से ही उसका पति बंसत उसे मायके से दहेज, 10 हजार रुपये और जेवर लाने के लिए कहने लगा, जब उसने मना किया तो उसका पति बंसत उसे दहेज की मांग पर से बुरी तरह मारपीट करने लगा और उसे तरह-तरह शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा, वह उसके पति की प्रताड़ना से तंग आ गयी। उसकी माँ और भाईयों ने उसके पति को कई बार समझाया, लेकिन उसका पति बंसत उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।

4- फरियादी रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र०पी० 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 14/14 भा.द.सं धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिशोध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 10/01/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 तैयार किया गया। साक्षियों के

कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—“क्या आपने दिनांक 20/05/13 के बाद से लगातार थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 07/01/14 तक समय 15/10 बजे आरोपी बंसत बामने का घर ग्राम छावल, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी श्रीमति रोशनी बामने, जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की?”

2—“उक्त दिनांक समय स्थान पर आपने उक्त समयावधि में फरियादी से दस हजार रुपये एवं जेवर की मांग कर उसके माता पिता से लाने के लिए दुष्प्रेरित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8— अभियोजन साक्षी पार्वती उर्फ रोशनी (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसका घरेलू बातों को लेकर उसके पति के साथ अनबन होने लगी थी जिसके कारण वह उसके मायके निमोटी चली गई थी। उसने गुस्से में आकर उसके पति की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में कर दी थी जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने शादी का कार्ड फोटो एवं दहेज की सूची जप्त की थी जिसका जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने उससे कभी दहेज की मांग नहीं की थी और न ही उसे दहेज को लेकर परेशान किया था। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न में इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि शादी के बाद ही उसका पति उससे दहेज में दस हजार रुपये की मांग एवं जेवर की मांग करने लगा था और इसी मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था।

9— आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन का ए से ए भाग लेख कराया था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका उसके पति से उसकी मर्जी से राजीनामा हो गया है और वह लगभग एक देड वर्ष से अच्छे से रही है। हमारा एक पुत्र भी है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका कं0 3 में यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

10— आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे कभी मानसिक व शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित करने तथा फरियादी से दस हजार रुपये एवं

जेवर की मांग कर उसके माता पिता से लाने के लिए दुष्प्रेरित किया, वाली बात नहीं बताई है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य के मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०दं०वि० की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी श्रीमति रोशनी बामने, जो कि एक स्त्री है के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से दस हजार रुपये एवं जेवर की मांग कर उसके माता पिता से लाने के लिए दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी श्रीमति रोशनी बामने, जो कि एक स्त्री है के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से दस हजार रुपये एवं जेवर की मांग कर उसके माता पिता से लाने के लिए दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्त बसंतराव को भा०दं०वि० की धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14— प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री शादी का कार्ड एवं दहेज की सूची मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०